BA(Hons.) PART –I , Paper- II

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

कौटिल्य (राजा के गुण, राजा के कार्य और शक्तियॉ)

राजा – राज्य के सप्त अंगों में कौटिल्य राजा को ही राज्य का सर्वोच्च एवं प्रमुख अंग मानता है। कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे इसलिए वे शासन को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। कौटिल्य के अनुसार, "शासन की सफलता राजा की शक्ति एवं उसकी योग्यता पर निर्भर करता है।" कौटिल्य के शब्दों में, "यदि राजा सम्पन्न हो तो, उसकी समृद्वि से प्रजा भी सम्पन्न होती है। राजा का जो शील हो, वह प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमी और उत्थानशील होता है तो प्रजा में भी उक्त गुण आ जाते हैं, यदि राजा प्रभावी हो, तो प्रजा भी वैसी हो जाती है। अतः राज्य में केन्द्रभूत राजा ही है।"

राजपद के लिए राजा के आवश्यक गुण – कौटिल्य के अनुसार, राजा में निम्नलिखित गुण आवश्यक है :–

1. राजा को कुलीन होना चाहिए।
2. राजा स्वस्थ और शास्त्र का अनुसरण करने वाला होना चाहिए।
3. राजा को निर्भीक, शास्त्रज्ञाता, संयमी, बलवान, लोभ–मोह–चापलूसी से मुक्त, हॅसमुख, उदारभाषी और वृद्वजनों के उपदेशों का अनुयायी होना चाहिए।
4. राजा को दैवबुद्वि, धैर्य–सम्पन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञ, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी, शीघ्र कार्य करने वाला, दृढ़–बुद्वि, सामन्तों को वश में करने वाला, अत्यधिक उत्साही, सर्वगुण–सम्पन्न परिवार वाला और शास्त्र बुद्वि से युक्त होना चाहिए।
5. राजा को सब शिल्पों में निपुण, सब दोषों से रहित और दूरदर्शी होना चाहिए।

उपर्युक्त आवश्यक गुणों के संदर्भ में कौटिल्य का मानना है कि इन सब गुणों से युक्त व्यक्ति आसानी से नहीं मिल सकता। कौटिल्य का कहना है कि कुछ गुण मनुष्य में स्वभाव और वंश के परम्परा का भी प्रभाव होता है और कुछ गुण अभ्यास से भी प्राप्त होते हैं। अभ्यास से प्राप्त गुण अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया है।

राजा की कार्य एवं शक्तियॉ – कौटिल्य राजतंत्र के समर्थक थे। कौटिल्य ने राजसत्ता के केन्द्रीकृत रूप को महत्व दिया है। उनके अनुसार राजा की शक्यिॉ और कार्य निम्न प्रकार है :–

1. **राजा सम्प्रभुता का प्रतीक एवं प्रयोगकर्त्ता** – कौटिल्य ने राजा को सम्प्रभुता का प्रतीक माना है और उसी के आधार पर उसे उसका प्रयोगकर्त्ता घोषित किया है। राजा वैधानिक, सामाजिक तथा नैतिक रूप का प्रतिनिधित्व और प्रयोग करता है, इस दृष्टि से उसकी शक्तियों का कोई वैधानिक सीमा नहीं है। वह सर्वसमर्थ है तथा उनके प्रयोग का अन्तिम व अनन्य अधिकारी है।
2. **शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना** – राजा को राज्य में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इसके लिए राजा को इन्द्र के समान प्रजा पर अनुग्रह और यम के समान दुष्टों का नाश करना चाहिए।
3. **आय–व्यय संबंधी कार्य** – राजा को आय–व्यय का सही प्रबन्ध एवं पूरा हिसाब रखना चाहिए। उसे यह कार्य समाहर्त्ता के द्वारा कराना चाहिए।
4. **कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्तियॉ** – राजा को विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्तियॉ (अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति), श्रेष्ठ कार्य करने वालों को पदोन्नति, राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों एवं समस्याओं पर पदाधिकारियों से विचार–विमर्श एंव पत्राचार, राज्य में आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखना, दण्ड व्यवस्था स्थापित और संचालित करना, सेना पर नियंत्रण एवं उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, विदेश नीति और युद्वनीति का निर्धारण एवं संचालन करना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के आवश्यक व्यवस्था करना, राज्य में महामारी एवं संकट की स्थिति में व्यक्तियों की रक्षा एवं उसका समाधान करना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य हैं।

5. **लोककल्याणकारी कार्य करना** – कौटिल्य का राजा, प्रजा के हित को ध्यान में रखकर लोककल्याणकारी कार्यो का आयोजन एवं संचालन करता है। राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि, "प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है। स्वंय को अच्छे लगने वाले कार्यो को करने में राजा का हित नहीं, बल्कि उसका हित प्रजा को अच्छे लगने वाले कार्यो के सम्पादन करने में हैं।" राजा के द्वारा जीवकोपार्जन के साधन, कृषि विकास संबंधी कार्य, भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का आंवटन, विभिन्न प्रकार के उधोग की स्थापना एवं विकास करना, धनिक वर्ग पर अतिरिक्त कर लगाकर उसका धन निर्धनों में वितरण करना, राज्य में शिक्षा, साहित्य और कला के विकास के लिए कार्य करना, विधवा, अनाथ, रोगियों एवं दुखियों की सहायता करना इत्यादि लोककल्याणकारी कार्य करना है।
6. **न्यायिक शक्तियॉ** – राजा राज्य का न्यायाधीश माना जाता है। वह विभिन्न न्यायालयों की स्थापना करता है। राज्य में प्रचलित विधियों के अनुसार ही वह निर्णय देता है। राजा का महत्वपूर्ण कार्य दण्ड की व्यवस्था करना भी है। समाज और सामाजिक व्यवहार दण्ड पर ही निर्भर करता है, इसलिए दण्ड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। दण्ड का निर्धारण करते समय उसके आवश्यकता और औचित्य का भी ख्याल रखना चाहिए। यथोचित दण्ड देने वाला राजा ही पूज्य होता है।
7. **विधायी शक्तियॉ** – कौटिल्य का राजा सम्प्रभु होते हुए भी विधि या कानून का स्रोत नहीं, उसका प्रबन्धक है। राजा प्रचलित कानूनों के अनुसार ही सभी निर्णय लेता है तथा उसे प्रभावी बनाता है लेकिन परम्परागत कानून जो धर्म, सामाजिक मान्यताओं, नैतिक धारणाओं पर आधारित होते हैं, की व्याख्या करने का अधिकारी होने के कारण, वह अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माता भी बन जाता है।
8. **वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना** – राजा का एक प्रमुख कर्त्तव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है।
9. **युद्व करना** – कौटिल्य के अनुसार, युद्व करना राज्य का एक प्रमुख कार्य है। उसके अर्थशास्त्र का केन्द्र विन्दु एक ऐसा राजा है जिसे उसने "विजीगीषु" के नाम से पुकारा है। कौटिल्य के राजा का उद्वेश्य निरन्तर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र का विकास

करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदण्ड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्व के लिए तैयार करती है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युद्व से ही संबंध रखते हैं।